

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल,
भागलपुर।
प्राचार्य,
ए०एन०एम० स्कूल,
इस्लामपुर, नालन्दा।

पटना, दिनांक-15/03/2018

विषय:- प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड-20-2210051050012 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में संविदा सेवायें मद में कुल रू० 23,45,000/- (रुपये तेईस लाख पैतालिस हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर के पत्रांक-494, दिनांक-07.02.2018 तथा प्राचार्य, ए०एन०एम० स्कूल, इस्लामपुर, नालन्दा के पत्रांक-20 दिनांक-08.03.2018 के आलोक में प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड-20-2210051050012 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में संविदा सेवायें मद में कुल रू० 23,45,000/- (रुपये तेईस लाख पैतालिस हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति निम्नरूपेण प्रदान की जाती है-

प्राथमिक ईकाई	संयुक्त बजट उपबंध	पूर्व का संयुक्त कुल आवंटन	ज०ला०ने० चि० महा० अस्प०, भागलपुर को वर्तमान आवंटन	ए०एन०एम० स्कूल, इस्लामपुर, नालन्दा को वर्तमान आवंटन	वर्तमान संयुक्त आवंटन	कुल संयुक्त आवंटन	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
0012.28.02 संविदा सेवायें	15000000	11250000	1050000	1295000	2345000	13595000	1405000
कुल योग-	15000000	11250000	1050000	1295000	2345000	13595000	1405000

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक-06.05.06, 96/वि०(2) दिनांक-09.01.08 सह-पठित संकल्प संख्या-2190/वि०(2) दिनांक-17.03.08, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3388/वि०(2) दिनांक-18.04.2011 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर तथा प्राचार्य, ए०एन०एम० स्कूल, इस्लामपुर, नालन्दा होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0012-प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड-20-2210051050012 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जायेगी।



क्रमशः

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।
6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।
7. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
8. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जाएगी।
9. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
10. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/प्र0नर्स-03/2017-105(1)क० /स्वा0, पटना, दिनांक- 15/03/2018
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित जिलाधिकारी, बिहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव